

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 2013/वैशाख 25, 1935

No. 1077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 2013/VAISAKHA 25, 1935

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2013

का.आ. 1223(अ)—केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 मास मई, वर्ष 2013 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 और धारा 15 ख के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[एफ. सं. 1/1/2013-रिकवरी]

अनुराग जैन, संयुक्त सचिव,

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15<sup>th</sup> May, 2013

**S.O. 1223(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Act, 2012 (No. 1 of 2013), the Central Government hereby appoints the 15<sup>th</sup> day of May, 2013, as the date on which the provisions of Sections 8 and 15 (b) of the said Act shall come into force.

[F. No.1/1/2013-Recovery]

ANURAG JAIN, Jt. Secy.